

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक: प.29(10) न्याय/2017

जयपुर, दिनांक: 18 JAN 2018

आज्ञा

प्रशासनिक सुधार (ग्रुप-3) विभाग, जयपुर के पत्र क्रमांक प.1(2)प्र0सु./अनु-3/2016 दिनांक 13.11.2017 द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा आयोजित कनिष्ठ लिपिक (वर्तमान पदनाम लिपिक ग्रेड-द्वितीय) पद की संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, 2011 में उत्तीर्ण अभ्यर्थी जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	नाम	पिता का नाम	वर्ग	मेरिट संख्या	रोल नं.	जन्म तिथि
1	सुमेर दान	ईसुदान	BC, LD	1005 A	307937	05-06-1984

को अधीनस्थ कार्यालय हेतु चयनित कर इस विभाग में अस्थाई आधार पर कनिष्ठ लिपिक (वर्तमान पदनाम लिपिक ग्रेड-द्वितीय) के पद पर निम्न अधिसूचनाओं में अंकित प्रावधानों के अनुसार कनिष्ठ लिपिक के पद पर कार्यग्रहण करने की तिथि से 2 वर्ष की परिवीक्षाधीन अवधि पर एतद्वारा नियुक्त किया जाता है:-

वित्त नियम विभाग की अधिसूचनाएं:-

1. एफ.12(6)एफ.डी/रुल्स/05 दिनांक 13.03.2006
2. एफ.16(2)एफ.डी/रुल्स/98 दिनांक 13.03.2006
3. एफ.13(1)एफ.डी/रुल्स/03 दिनांक 13.03.2006
4. एफ.6(6)एफ.डी/रुल्स/05 दिनांक 13.03.2006
5. एफ.16(5)एफ.डी/रुल्स/98 दिनांक 13.03.2006
6. एफ.1(2)एफ.डी/रुल्स/06 दिनांक 13.03.2006
तथा कार्मिक विभाग की अधिसूचनाएं:-
1. प.7(2)कार्मिक/ए-11/2005 दिनांक 20.01.2006
2. प.7(3)कार्मिक/क-2/2006 दिनांक 30.06.2006

उक्त नियुक्ति निम्न शर्तों के अधीन होगी:-

1. उक्त अभ्यर्थी राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक एफ.7(2)कार्मिक/ डीओपी/ए-2/05 दिनांक 20.01.2005, वित्त विभाग के आदेश क्रमांक प.14(1)वित्त नियम/2013 पार्ट दिनांक 08.06.2015, प.15(1)वित्त/रुल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 के अनुसार कार्यग्रहण तिथि से दो वर्ष की कालावधि के लिये परीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में रहेंगे। इस अवधि में इन्हें राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट दरों पर मासिक भुगतान (रुपये 14,600/- प्रतिमाह) देय होगा तथा अन्य प्रकार का कोई भुगतान देय नहीं होगा। उक्त अभ्यर्थी को कनिष्ठ लिपिक के पे-बेण्ड नं.-1 5200-20200-ग्रेड पे नम्बर 9-2400 के अन्तर्गत नियुक्ति दी गई है।
2. उपरोक्त अभ्यर्थी को आदेश जारी होने की दिनांक से 1 माह के अन्दर अपने पद का कार्यभार संभालना होगा। निर्धारित अवधि में कार्यभार नहीं संभालने की स्थिति में उनकी नियुक्ति आदेश निरस्त करने की प्रक्रिया नियमानुसार प्रारम्भ कर दी जायेगी।
3. अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व नियत वेतन (Fix Pay) पर कार्य करने की अपनी सहमति लिखित रूप में प्रस्तुत करनी होगी यदि अभ्यर्थी पूर्व में राज्य सरकार का कर्मचारी है तो उक्त शर्त लागू नहीं होगी।
4. अभ्यर्थी की नियुक्ति तिथि कनिष्ठ लिपिक (वर्तमान पदनाम लिपिक ग्रेड-द्वितीय) के पद पर कार्यग्रहण की तिथि से मान्य होगी।
5. यह नियुक्ति राजस्थान सेवा नियमों एवं उक्त नियमों के समय-समय पर संशोधित सेवा नियमों के अधीन रहेगी।
6. उपस्थिति पर कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
7. अभ्यर्थी कनिष्ठ लिपिक (वर्तमान पदनाम लिपिक ग्रेड-द्वितीय) के पद पर कार्यभार ग्रहण करते समय धूम्रपान एवं गूटखा सेवन न करने का वचनबंध प्रपत्र प्रस्तुत करेंगे।
8. उपस्थिति देने से पूर्व दो राजपत्रित अधिकारियों से चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा। जो उनके संबंधी न हो।

9. राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश संख्या एफ.13(1)वित्त/नियम/2003 दिनांक 28.01.2004 एवं 27.03.2004 के तहत अंशदायी पेंशन योजना के प्रावधान लागू होंगे तथा आदेश जो राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये हो उनके अधीन ही सेवा एवं सेवालाभ देय होंगे।
10. जो अभ्यर्थी पूर्व से ही नियमित राज्य सेवा में कार्यरत हैं उन्हें राज्य सरकार के नियमानुसार ही वेतन भत्ता देय होंगे। परन्तु पदस्थापन पर कार्यग्रहण के समय पूर्व नियोजक के द्वारा उचित माध्यम (Through Proper Channel) से कार्यमुक्त किये जाने के आदेश, अनापत्ति प्रमाण-पत्र एवं गत भुगतान प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
11. यदि किसी अभ्यर्थी के दस्तावेजों में कोई कमी अथवा दस्तावेज फर्जी पाये जाते हैं तो राज्य सरकार इनकी सेवायें तत्काल समाप्त कर सकेगी।
12. अभ्यर्थियों की जन्मतिथि उनके द्वारा प्रस्तुत सैकण्डरी, परीक्षा उत्तीर्ण करने के मूल प्रमाण पत्र के आधार पर अंकित की गई ही मान्य होगी तथा जन्मतिथि अपरिवर्तनीय होगी।
13. चयनित अभ्यर्थियों के अपने से वरिष्ठ/कनिष्ठ (वर्तमान पदनाम लिपिक ग्रेड-द्वितीय)के पूर्व में एवं बाद में कार्यग्रहण करने की स्थिति में इनकी वरिष्ठता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इनकी वरिष्ठता का निर्धारण राजस्थान लोक सेवा आयोग से मेरिट सूची के आधार पर ही होगा।
14. अन्य सुविधा या अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों में संशोधित प्रावधानों के अनुसार देय होगा।
15. उक्त अभ्यर्थी कार्यग्रहण करते समय अपनी स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रमाण पत्र मेडिकल ज्यूरिस्ट/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से प्राप्त कर जिस मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण में पदस्थापन किया है वहाँ पर पीठासीन अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे।
16. उक्त नियुक्तियाँ सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के परिपत्र एफ 11/एसटी एससी ओबीसी एसबीसी/जा.प्र.प./सामान्यअवि/2015/54159 दिनांक 09.09.2015, पत्रांक 63606-726 दिनांक 20.10.2015 एवं प011(204) आरएण्डपी/डीडीबीसी/सान्याअवि/2011/68999-69032 जयपुर दिनांक 11.11.2016 में वर्णित दिशा-निर्देशों/सत्यापन के अध्याधीन पूर्णतया अस्थाई रूप से रहेगी।

इनके चरित्र सत्यापन रिपोर्ट इस विभाग में रख ली गई है। उक्त अभ्यर्थियों का पदस्थापन कनिष्ठ लिपिक के पद पर निम्न प्रकार से किया जाता है:-

क्र.सं.	नाम सर्व श्री	अधिकरण का नाम
1	सुमेर दान	मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, बीकानेर

- ६ -
उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार (ग्रुप-3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को उनके पत्र क्रमांक प.1(2)प्र.सु/अनु-3/2016 दिनांक 13.11.2017 के क्रम में।
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
3. न्यायाधीश, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, बीकानेर को प्रेषित कर निवेदन है कि अभ्यर्थी को ज्वार्इन कराते समय मूल दस्तावेजों एवं शैक्षणिक योग्यता से सम्बन्धित प्रमाण पत्रों की जाँच अपने स्तर पर कर संतुष्टि कर लें कि इनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सही हैं।
4. सहायक निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावदायी निधि विभाग, बीकानेर।
5. श्री सुमेर दान पुत्र श्री ईसुदान, सुन्दरोतो का बास, दासौड़ी, तहसील कोलायत, जिला बीकानेर।
6. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
7. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।


उप शासन सचिव

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक: प.29(13) न्याय/2017

जयपुर, दिनांक: 8 JAN 2018

आज्ञा

प्रशासनिक सुधार (ग्रुप-3) विभाग, जयपुर के पत्र क्रमांक प.1(2)प्र0सु./अनु-3/2016 दिनांक 13.11.2017 द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा आयोजित कनिष्ठ लिपिक (वर्तमान पदनाम लिपिक ग्रेड-द्वितीय) पद की संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, 2011 में उत्तीर्ण अभ्यर्थी जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	नाम	पिता का नाम	वर्ग	मेरिट संख्या	रोल नं.	जन्म तिथि
1	श्री रामअवतार गर्ग	श्री केसर लाल गर्ग	GEN. LD	1113	754980	03.03.1979

को अधीनस्थ कार्यालय हेतु चयनित कर इस विभाग में अस्थाई आधार पर कनिष्ठ लिपिक (वर्तमान पदनाम लिपिक ग्रेड-द्वितीय) के पद पर निम्न अधिसूचनाओं में अंकित प्रावधानों के अनुसार कनिष्ठ लिपिक के पद पर कार्यग्रहण करने की तिथि से 2 वर्ष की परिवीक्षाधीन अवधि पर एतद्वारा नियुक्त किया जाता है:-

वित्त नियम विभाग की अधिसूचनाएं:-

1. एफ.12(6)एफ.डी/रूल्स/05 दिनांक 13.03.2006
2. एफ.16(2)एफ.डी/रूल्स/98 दिनांक 13.03.2006
3. एफ.13(1)एफ.डी/रूल्स/03 दिनांक 13.03.2006
4. एफ.6(6)एफ.डी/रूल्स/05 दिनांक 13.03.2006
5. एफ.16(5)एफ.डी/रूल्स/98 दिनांक 13.03.2006
6. एफ.1(2)एफ.डी/रूल्स/06 दिनांक 13.03.2006
तथा कार्मिक विभाग की अधिसूचनाएं:-
1. प.7(2)कार्मिक/ए-11/2005 दिनांक 20.01.2006
2. प.7(3)कार्मिक/क-2/2006 दिनांक 30.06.2005

उक्त नियुक्ति निम्न शर्तों के अधीन होगी:-

1. उक्त अभ्यर्थी राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक एफ.7(2)कार्मिक/ डीओपी/ए-2/05 दिनांक 20.01.2005, वित्त विभाग के आदेश क्रमांक प.14(1)वित्त नियम/2013 पार्ट दिनांक 08.06.2015 प.15(1)वित्त/रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 के अनुसार कार्यग्रहण तिथि से दो वर्ष की काजावधि के लिये परीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में रहेंगे। इस अवधि में इन्हें राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट दरों पर मासिक भुगतान (रूपये 14,600/- प्रतिमाह) देय होगा तथा अन्य प्रकार का कोई भुगतान देय नहीं होगा। उक्त अभ्यर्थी को कनिष्ठ लिपिक के पे-बेण्ड नं.-1 5200-20200-ग्रेड पे नम्बर 9-2400 के अन्तर्गत नियुक्ति दी गई है।
2. उपरोक्त अभ्यर्थी को आदेश जारी होने की दिनांक से 1 माह के अन्दर अपने पद का कार्यभार संभालना होगा। निर्धारित अवधि में कार्यभार नहीं संभालने की स्थिति में उनकी नियुक्ति आदेश निरस्त करने की प्रक्रिया नियमानुसार प्रारम्भ कर दी जायेगी।
3. अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व नियत वेतन (Fix Pay) पर कार्य करने की अपनी सहमति लिखित रूप में प्रस्तुत करनी होगी यादे अभ्यर्थी पूर्व में राज्य सरकार का कर्मचारी है तो उक्त शर्त लागू नहीं होगी।
4. अभ्यर्थी की नियुक्ति तिथि कनिष्ठ लिपिक (वर्तमान पदनाम लिपिक ग्रेड-द्वितीय) के पद पर कार्यग्रहण की तिथि से मान्य होगी।
5. यह नियुक्ति राजस्थान सेवा नियमों एवं उक्त नियमों के समय-समय पर संशोधित सेवा नियमों के अधीन रहेगी।
6. उपस्थिति पर कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
7. अभ्यर्थी कनिष्ठ लिपिक (वर्तमान पदनाम लिपिक ग्रेड-द्वितीय) के पद पर कार्यभार ग्रहण करते समय धूम्रपान एवं गुटरखा सेवन न करने का बचनबंध प्रपत्र प्रस्तुत करेंगे।
8. उपस्थिति देने से पूर्व दो राजपत्रित अधिकारियों से चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा। जो उनके संबंधी न हो।

9. राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश संख्या एफ.13(1)वित्त/नियम/2003 दिनांक 28.01.2004 एवं 27.03.2004 के तहत अंशदायी पेंशन योजना के प्रावधान लागू होंगे तथा आदेश जो राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये हो उनके अधीन ही सेवा एवं सेवालाभ देय होंगे।
10. जो अभ्यर्थी पूर्व से ही नियमित राज्य सेवा में कार्यरत हैं उन्हें राज्य सरकार के नियमानुसार ही वेतन भत्ते देय होंगे। परन्तु पदस्थापन पर कार्यग्रहण के समय पूर्व नियोजक के द्वारा उचित माध्यम (Through Proper Channel) से कार्यमुक्त किये जाने के आदेश, अनापत्ति प्रमाण-पत्र एवं गत भुगतान प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
11. यदि किसी अभ्यर्थी के दस्तावेजों में कोई कमी अथवा दस्तावेज फर्जी पाये जाते हैं तो राज्य सरकार इनकी सेवायें तत्काल समाप्त कर सकेगी।
12. अभ्यर्थियों की जन्मतिथि उनके द्वारा प्रस्तुत सैकण्डरी, परीक्षा उत्तीर्ण करने के मूल प्रमाण पत्र के आधार पर अंकित की गई ही मान्य होगी तथा जन्मतिथि अपरिवर्तनीय होगी।
13. चयनित अभ्यर्थियों के अपने से वरिष्ठ/कनिष्ठ (वर्तमान पदनाम लिपिक ग्रेड-द्वितीय) के पूर्व में एवं बाद में कार्यग्रहण करने की स्थिति में इनकी वरिष्ठता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इनकी वरिष्ठता का निर्धारण राजस्थान लोक सेवा आयोग से मेरिट सूची के आधार पर ही होगा।
14. अन्य सुविधा या अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों में संशोधित प्रावधानों के अनुसार देय होगा।
15. उक्त अभ्यर्थी कार्यग्रहण करते समय अपनी स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रमाण पत्र मेडिकल ज्यूरिस्ट/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से प्राप्त कर जिस मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण में पदस्थापन किया है वहाँ पर पीठासीन अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे।
16. उक्त नियुक्तियां सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के परिपत्र एफ. 11/एसटी, एससी, ओबीसी, एसबीसी/जा.प्र.प./सामान्यअवि/2015/54159 दिनांक 09.09.2015, पत्रांक 63606-726 दिनांक 20.10.2015 एवं प011(204)आरएण्डपी/डीडीवीसी/सत्यापन/2011/68999-69032 जयपुर दिनांक 11.11.2016 में वर्णित दिशा-निर्देशों/सत्यापन के अधधीन पूर्णतया अस्थाई रूप से रहेगी।

इनके चरित्र सत्यापन रिपोर्ट इस विभाग में रख ली गई है। उक्त अभ्यर्थियों का पदस्थापन कनिष्ठ लिपिक के पद पर निम्न प्रकार से किया जाता है:-

क्र.सं.	नाम सर्व श्री	अधिकरण का नाम
1	रामअवतार गर्ग	मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, सवाई माधोपुर


उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार (गुप-3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को उनके पत्र क्रमांक प.1(2)प्र.सु./अनु-3/2016 दिनांक 13.11.2017 के क्रम में।
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
3. न्यायाधीश, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, **सवाई माधोपुर** को प्रेषित कर निवेदन है कि अभ्यर्थी को ज्वार्इन कराते समय मूल दस्तावेजों एवं शैक्षणिक योग्यता से सम्बन्धित प्रमाण पत्रों की जाँच अपने स्तर पर कर संतुष्टि कर लें कि इनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सही हैं।
4. सहायक निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग, **सवाई माधोपुर**।
5. श्री रामअवतार गर्ग पुत्र श्री केसर लाल गर्ग, ग्राम-पोस्ट गण्डावर, तहसील खण्डार, जिला सवाई माधोपुर।
6. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।


उप शासन सचिव

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक: प.29(14) न्याय/2017

जयपुर, दिनांक: 18 JAN 2018

आज्ञा

प्रशासनिक सुधार (ग्रुप-3) विभाग, जयपुर के पत्र क्रमांक प.1(2)प्र0सु./अनु-3/2016 दिनांक 13.11.2017 द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा आयोजित कनिष्ठ लिपिक (वर्तमान पदनाम लिपिक ग्रेड-द्वितीय) पद की संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, 2011 में उत्तीर्ण अभ्यर्थी जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	नाम	पिता का नाम	वर्ग	मेरिट संख्या	रोल नं.	जन्म तिथि
1	श्री रामावतार कुम्भकार	श्री कल्याण सहाय कुम्भकार	BC, LD	1040 B	755802	31.12.1989

को अधीनस्थ कार्यालय हेतु चयनित कर इस विभाग में अस्थाई आधार पर कनिष्ठ लिपिक (वर्तमान पदनाम लिपिक ग्रेड-द्वितीय) के पद पर निम्न अधिसूचनाओं में अंकित प्रावधानों के अनुसार कनिष्ठ लिपिक के पद पर कार्यग्रहण करने की तिथि से 2 वर्ष की परिवीक्षाधीन अवधि पर एतद्वारा नियुक्त किया जाता है:-

वित्त नियम विभाग की अधिसूचनाएँ:-

1. एफ.12(6)एफ.डी/रुल्स/05 दिनांक 13.03.2006
2. एफ.16(2)एफ.डी/रुल्स/98 दिनांक 13.03.2006
3. एफ.13(1)एफ.डी/रुल्स/03 दिनांक 13.03.2006
4. एफ.6(6)एफ.डी/रुल्स/05 दिनांक 13.03.2006
5. एफ.16(5)एफ.डी/रुल्स/98 दिनांक 13.03.2006
6. एफ.1(2)एफ.डी/रुल्स/06 दिनांक 13.03.2006

तथा कार्मिक विभाग की अधिसूचनाएँ:-

1. प.7(2)कार्मिक/ए-11/2005 दिनांक 20.01.2006
2. प.7(3)कार्मिक/क-2/2006 दिनांक 30.06.2006

उक्त नियुक्ति निम्न शर्तों के अधीन होगी:-

1. उक्त अभ्यर्थी राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक एफ7(2)कार्मिक/ डीओपी/ए-2/05 दिनांक 20.01.2005, वित्त विभाग के आदेश क्रमांक प.14(1)वित्त नियम/2013 पार्ट दिनांक 08.06.2015, प.15(1)वित्त/रुल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 के अनुसार कार्यग्रहण तिथि से दो वर्ष की कालावधि के लिये परीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में रहेंगे। इस अवधि में इन्हें राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट दरों पर मासिक भुगतान (रूपये 14,600/- प्रतिमाह) देय होगा तथा अन्य प्रकार का कोई भुगतान देय नहीं होगा। उक्त अभ्यर्थी को कनिष्ठ लिपिक के पे-बैंड नं.-1 5200-20200-ग्रेड पे नम्बर 9-2400 के अन्तर्गत नियुक्ति दी गई है।
2. उपरोक्त अभ्यर्थी को आदेश जारी होने की दिनांक से 1 माह के अन्दर अपने पद का कार्यभार संभालना होगा। निर्धारित अवधि में कार्यभार नहीं संभालने की स्थिति में उनकी नियुक्ति आदेश निरस्त करने की प्रक्रिया नियमानुसार प्रारम्भ कर दी जायेगी।
3. अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व नियत वेतन (Fix Pay) पर कार्य करने की अपनी सहमति लिखित रूप में प्रस्तुत करनी होगी यदि अभ्यर्थी पूर्व में राज्य सरकार का कर्मचारी है तो उक्त शर्त लागू नहीं होगी।
4. अभ्यर्थी की नियुक्ति तिथि कनिष्ठ लिपिक (वर्तमान पदनाम लिपिक ग्रेड-द्वितीय) के पद पर कार्यग्रहण की तिथि से मान्य होगी।
5. यह नियुक्ति राजस्थान सेवा नियमों एवं उक्त नियमों के समय-समय पर संशोधित सेवा नियमों के अधीन रहेगी।
6. उपस्थिति पर कोई यात्रा भत्ता तय नहीं होगा।
7. अभ्यर्थी कनिष्ठ लिपिक (वर्तमान पदनाम लिपिक ग्रेड-द्वितीय) के पद पर कार्यभार ग्रहण करते समय धूम्रपान एवं गुटखा सेवन न करने का वचनबंध प्रपत्र प्रस्तुत करेंगे।
8. उपस्थिति देने से पूर्व दो राजपत्रित अधिकारियों से चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा। जो उनके संबंधी न हो।

9. राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश संख्या एफ.13(1)वित्त/नियम/2003 दिनांक 28.01.2004 एवं 27.03.2004 के तहत अंशदायी पेंशन योजना के प्रावधान लागू होंगे तथा आदेश जो राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये हो उनके अधीन ही सेवा एवं सेवालाभ देय होंगे।
10. जो अभ्यर्थी पूर्व से ही नियमित राज्य सेवा में कार्यरत है उन्हें राज्य सरकार के नियमानुसार ही वेतन भत्ते देय होंगे। परन्तु पदस्थापन पर कार्यग्रहण के समय पूर्व नियोजक के द्वारा उचित माध्यम (Through Proper Channel) से कार्यमुक्त किये जाने के आदेश, अनापत्ति प्रमाण-पत्र एवं गत भुगतान प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
11. यदि किसी अभ्यर्थी के दस्तावेजों में कोई कमी अथवा दस्तावेज फर्जी पाये जाते हैं तो राज्य सरकार इनकी सेवायें तत्काल समाप्त कर सकेगी।
12. अभ्यर्थियों की जन्मतिथि उनके द्वारा प्रस्तुत सैकण्डरी, परीक्षा उत्तीर्ण करने के मूल प्रमाण पत्र के आधार पर अंकित की गई ही मान्य होगी तथा जन्मतिथि अपरिवर्तनीय होगी।
13. चयनित अभ्यर्थियों के अपने से वरिष्ठ/कनिष्ठ (वर्तमान पदनाम लिपिक ग्रेड-द्वितीय) के पूर्व में एवं बाद में कार्यग्रहण करने की स्थिति में इनकी वरिष्ठता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इनकी वरिष्ठता का निर्धारण राजस्थान लोक सेवा आयोग से मेरिट सूची के आधार पर ही होगा।
14. अन्य सुविधा या अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों में संशोधित प्रावधानों के अनुसार देय होगा।
15. उक्त अभ्यर्थी कार्यग्रहण करते समय अपनी स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रमाण पत्र मेडिकल ज्यूरिस्ट/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से प्राप्त कर जिस मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण में पदस्थापन किया है वहाँ पर पीठारीन अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे।
16. उक्त नियुक्तियां सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के परिपत्र एफ 11/एसटी एससी ओबीसी एसबीसी/जा.प्र.प./सामान्यअवि/2015/54159 दिनांक 09.09.2015, पत्रांक 63606-726 दिनांक 20.10.2015 एवं प011(204) आरएण्डपी/डीडीबीसी/सान्याअवि/2011/68999-69032 जयपुर दिनांक 11.11.2016 में वर्णित दिशा-निर्देशों/सत्यापन के अधधीन पूर्णतया अस्थाई रूप से रहेगी।

इनके चरित्र सत्यापन रिपोर्ट इस विभाग में रख ली गई है। उक्त अभ्यर्थियों का पदस्थापन कनिष्ठ लिपिक के पद पर निम्न प्रकार से किया जाता है:-

क्र.सं.	नाम सर्व श्री	अधिकरण का नाम
1	रामावतार कुम्भकार	मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, सवाई माधोपुर

— १० —
उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार (ग्रुप-3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को उनके पत्र क्रमांक प.1(2)प्र.सु./अनु-3/2016 दिनांक 13.11.2017 के क्रम में।
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
3. न्यायाधीश, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, **सवाई माधोपुर** को प्रेषित कर निवेदन है कि अभ्यर्थी को ज्वाइन कराते समय मूल दस्तावेजों एवं शैक्षणिक योग्यता से सम्बन्धित प्रमाण पत्रों की जाँच अपने स्तर पर कर संतुष्टि कर लें कि इनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सही हैं।
4. सहायक निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग, **सवाई माधोपुर**।
5. श्री रामावतार कुम्भकार पुत्र श्री कल्याण सहाय कुम्भकार, ग्राम जयसिंहपुरा, पोस्ट-गीजगढ़, तहसील सीकराय, जिला दौसा।
6. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।


उप शासन सचिव